प्रकरण संख्या 03/20 RCMS ID-2020/00023 ता0रजू 13.03.2020

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

(3)

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

मनमोहन शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी–ग्राम पंचायत मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली(राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2020 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 26.11.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर कुल गेंहूं 11023.500 किलोग्राम (पोस मशीन में दर्ज 5203.5 किलोग्राम एवं माह दिस.19 के पेटे प्राप्त 5820 किलोग्राम गेंहूं) होना चाहिये था जबकि मौके पर 7295 किलोग्राम गेंहूं की पाया गया अर्थात् 3728.5 किलोग्राम गेंहूं कम पाया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा मौके पर पाये गये 7295 किलोग्राम गेंहूं व 98.2 किलोग्राम चीनी को भी अटैच डीलर को हस्तांतरित नहीं किया गया है। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार दिनांक 25.02.2020 को निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत मण्डरायल, तहसील मण्डरायल, जिला करौली (राज.) के 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है एवं अपीलार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत मण्डरायल के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। विवादित आदेश दिनांक 25.02.2020 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्रांप्ति मैसेज उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना

जिला कलक्टर
करौली

होता है (जब तक मशीन में लाईट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है । इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन–देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये बिना ही अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये निरस्त कर दिया जो कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 25.02.2020 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा दिनांक 26.11.2019 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसके अनुसार भौतिक सत्यापन पर 72.95 क्विंटल गेंहू एवं 98.2 किलोग्राम चीनी स्टॉक में मानी जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 26.11.2019 को निलम्बित किया जाकर दिनांक 28.11.2019 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0002 दिनांक 05.01. 2020 दर्ज करवायी गई है जिसके बाबत् एवं अग्रिम जमानत हेतु प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। निलम्बन आदेश दिनांक 26.11.2019, कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.11.2019 की फोटो प्रति प्रदर्श–3 एवं प्रदर्श–4 संलग्न प्रस्तुत है। कारण बताओ नोटिस में मुख्य आरोप 1241 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण एवं 37 क्विं. 28 किलो 500 ग्राम गेंहू का दुरुपयोग करने बाबत् लगाया गया जिसके बाबत् प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.12.2019 को जिला कलक्टर करौली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्टॉक में 106.65.500 क्विं. गेंहू एवं 98.2 किलोग्राम चीनी मौजूद है जिसको प्रार्थी अटैच डीलर को सुपुर्द करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2019 की फोटो प्रति प्रदर्श–5 संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पालना में जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.12.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को निर्देशित किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 तक भिजवाये जाने बाबत् आदेश पारित किया जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जिला करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.2019 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल को निर्देशित कर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाये जाने बाबत् आदेश पारित किया। पत्र दिनांक 16.12.2019 एवं 20.12.2019 की फोटो प्रति प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 संलग्न प्रस्तुत हैं। जिला कलक्टर करौली द्वारा जारी पत्रांक–सामान्य /

जिला कलक्टर
करौली

2020 दिनांक 10.01.2020 की पालना में तहसीलदार मण्डरायल द्वारा प्रार्थी के स्टॉक में मौजूद रसद सामग्री की दिनांक 20.01.2020 को पुनः जांच की गई एवं उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जिसके अनुसार प्रार्थी के गोदाम में 106.65.500 क्विंटल गेंहूं एवं 98.2 किलोग्राम चीनी उपलब्ध पायी गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 22.01.2020 की फोटो प्रति प्रदर्श–8 संलग्न प्रस्तुत है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वरवक्त जांच अपीलार्थी के गोदाम में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री मौजूद थी लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिना किसी उचित मापतौल के अन्दाजन से स्टॉक की गणना की जाकर अपीलार्थी के ऊपर 37 क्विं. 28 किलो 500 ग्राम गेंहूं कम पाये का आरोप लगाया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.11.2019 में मुख्य रूप से 37 क्विं. 28 किलो 500 ग्राम गेंहूं का दुरुपयोग एवं 1241 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण करने का आरोप अंकित किया गया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाव अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2020 को दे दिया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि अपीलार्थी के स्टॉक में स्टॉक के अनुसार 106.65.500 क्विंटल गेहूं व 98.2 किलोग्राम चीनी उपलब्ध है जो कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 22.01.2020 द्वारा सिद्ध है एवं उक्त सामग्री का उठाव कई बार निवेदन किये जाने के बावजूद अटैच डीलर द्वारा नहीं किया गया एवं 1241 लीटर केरोसीन का आरोप स्वयं विभाग द्वारा सहवन से लगाया गया माना गया बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। अपीलार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं अपीलार्थी के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी एवं ना ही दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा गोदाम में मौजूद 106.66 क्विंटल गेंहूं एवं 98.2 किलोग्राम चीनी का अटैच डीलर को सुपुर्द किये जाने बाबत् कई बार मौखिक व लिखित रूप से निवेदन कर दिया गया बावजूद इसके ना तो प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही की गई एवं ना ही अटैच डीलर द्वारा अपीलार्थी के अवशेष स्टॉक का उठाव किया गया बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो कि विधिसम्मत् नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत होने पर प्रवर्तन निरीक्षक नादौती व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच दिनांक 26.11.2019 को की गई। मौके पर दुकान खुली हुई पायी गई। मौके पर अपीलार्थी राशन डीलर मौजूद नहीं मिले एवं श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री कैलाश चंद शर्मा वितरण करते हुए पाये गये जिन्होंने डीलर को आवश्यक कार्य से बाहर जाना बताया। डीलर को मोबाइल नं. 7891212128 से बार–बार सम्पर्क करने पर डीलर द्वारा फोन नहीं उठाया। उसके बाद अपीलार्थी राशन डीलर के भाई श्री कैलाश चंद शर्मा मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने उनके द्वारा जांच करवाना बताया। मौके पर पोस मशीन संख्या 19522 में उपलब्ध स्टॉक की जांच करने पर चीनी 98.2 किलोग्राम, एवं कुल गेंहूं 5203.5 किलोग्राम दर्ज पाया गया। डीलर

जिला कलक्टर
करौली

प्रतिनिधि ने बताया कि माह दिसम्बर 2019 के पेटे 58.20 क्विं. गेंहूं की आमद हुई है जो अभी पोस मशीन में दर्ज नहीं हुआ है। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर चीनी 98.2 किलोग्राम, गेंहूं सील बंद कट्टों में 64.5 क्विं. एवं खुला गेंहूं जिसे तौलने पर 8 क्विं. 45 इस प्रकार कुल 72.95 क्विं. गेंहूं पाया गया। डीलर प्रतिनिधि ने मौके पर बताया कि उक्त दुकान व गोदाम के अतिरिक्त अन्य कोई दुकान व गोदाम एवं उक्त स्टॉक के अलावा अन्य कोई स्टॉक नहीं है। उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा बताया कि डीलर दो माह में एक बार ही गेंहूं देता है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर कुल गेंहूं 11023.500 किलोग्राम (पोस मशीन में दर्ज 5203.5 किलोग्राम एवं माह दिस.19 के पेटे प्राप्त 5820 किलोग्राम गेंहूं) होना चाहिये था जबकि मौके पर 7295 किलोग्राम गेंहूं की पाया गया अर्थात् 3728.5 किलोग्राम गेंहूं कम पाया गया। तहसीलदार द्वारा जांच दिनांक 26.11.2020 के लगभग 2 माह बाद जांच की गई है तब स्टॉक में 10665.500 किलोग्राम गेंहूं पाया गया है जो कि अपीलार्थी द्वारा बाद की सोच से गेंहूं के स्टॉक को पूर्ण किया गया है। अपीलार्थी राशन डीलर को बार–बार मौके पर पाये गये स्टॉक को अटैच डीलर को हस्तांतरित करने हेतु पाबंद किये जाने के बावजूद आदिनांक अवशेष स्टॉक को अटैच डीलर को हस्तांतरित नहीं किया गया है, केवल स्टॉक को हस्तांतरित करने की कहता है। दिनांक 29.05.2020 को अटैच डीलर द्वारा यह स्टेटमेण्ट दिया गया है कि वह अवशेष स्टॉक को प्राप्त करने हेतु तैयार है लेकिन अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। पुनः दिनांक 03.06.2020 को भी अपीलार्थी राशन डीलर को अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है फिर भी अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा आदिनांक अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित नहीं किया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 26.11.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा की गई है। मौके पर अपीलार्थी राशन डीलर मौजूद नहीं मिला और उनके भाई कैलाशचंद शर्मा का पुत्र पंकज शर्मा राशन वितरण करते हुए पाये गये हैं। अपीलार्थी की गैरमौजूदगी में किसी अन्य द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा सकता है। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर पोस मशीन में 5203.5 किलोग्राम गेंहूं एवं 98.2 किलोग्राम चीनी दर्ज पायी गई। इसके अतिरिक्त माह दिसंबर 2019 के पेटे 58.20 क्विं. गेंहूं की आमद होना बताया है जिसका इन्द्राज पोस मशीन में नहीं हो पाना बताया है। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 72.95 क्विं. गेंहूं एवं 98.2 किलोग्राम चीनी पायी गई है। अर्थात् अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 37.28 क्विं. गेंहूं कम पाया गया है जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। उक्त जांच दिनांक 26.11.2019 के लगभग 2 माह बाद तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच करने पर अपीलार्थी राशन डीलर के पास 106.65.500 क्विं. गेंहूं पाया गया है। जांच होने के बाद स्टॉक का पूर्ण पाया जाना, वक्त मूल जांच की परिस्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राशन डीलर को बार–बार पाबंद करने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक को अटैच डीलर को हस्तांतरित नहीं किया गया है सिर्फ बार–बार इस आशय के प्रार्थना पत्र पेश करता रहता है कि अटैच डीलर राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर रहा है। अटैच डीलर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को भी यह बयान दिये हैं कि वह अवशेष स्टॉक प्राप्त करने के लिये तैयार है परंतु अपीलार्थी अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित नहीं कर रहा है।

जिला कलक्टर

इसके बाद पुनः दिनांक 03.06.2020 को अपीलार्थी राशन डीलर को अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित करने हेतु आदेशित किया गया है परंतु अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा आदिनांक अवशेष स्टॉक अटैच डीलर को हस्तांतरित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. एवं अग्रिम जमानत का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में राशन सामग्री का वितरण परिवार के अन्य सदस्य द्वारा किया जाना, वक्त जांच 37.28 क्विं. गेंहूं कम पाया जाना एवं बार–बार अवशेष स्टॉक को हस्तांतरित करने हेतु पाबंद करने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा स्टॉक को हस्तांतरित नहीं किया जाना गंभीर अनियमितताएं हैं। इसलिये हम जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 25.02.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 25.02.2020 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली